झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 07.09.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0 श्री चमरा लिण्डा स0वि0स0	तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष- 1964-1965 में राँची जिलान्तर्गत मेसरा रुदिया एवं होम्बई मौजा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उक्त भूमि पर बीआईटी मेसरा प्रौधोगिक संस्थान द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन, संस्थान का छात्रावास, कर्मचारी आवास आदि बनाया गया। आवश्यकता पूरा होने के उपरांत बचे हुए खाली भूमि पर रैयत लोग वर्षो से घर (मकान) बनाकर निवास के साथ-साथ खेती-बाड़ी करते आ रहे है जिस पर बीआईटी मेसरा प्रौधोगिक संस्थान द्वारा जबरन उक्त भूमि से रैयतों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भूमि अधिग्रहण करते समय भू-अर्जन कार्यालय की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 12 वर्षो के अन्दर जिस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है उस प्रयोजन को पूर्ण नहीं होने पर खाली पड़ी भूमि रैयतों को वापस करने का प्रावधान है।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं सदन के माध्यम से मॉंग करता हूँ कि बीआईटी मेसरा प्रौधोगिक संस्थान द्वारा अधिकृत अतिरिक्त भूमि रैयतो को वापस कर दिया जाए।	
02-	श्री केदार हजरा स०वि०स० श्री नवीन जायसवाल स०वि०स० श्री अमर कुमार बाउरी स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के अन्दर पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य मामले, भवन निर्माण विभाग, एन०आर०ई०पी०, विशेष प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में एवं अन्य सभी विभागों में निविदा द्वारा किये जा रहे कार्य में पूर्व की सरकार में अनुसूचित दर 10% कम कर निविदा का निस्तार किया जा रहा था, जबकि वर्त्तमान में अनुसूचित दर को अनलिमिटेड कम दर पर कार्य आवंटित (निविदा निस्तारण) किया जा रहा है जिससे विकास कार्य को गूणवत्ता में काफी कमी आई है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि निविदा निस्तारण में पूर्व की तरह 10% अनुसूचित दर की व्यवस्था पूनः लागू करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
03-	श्री लम्बोदर महतो स०वि०स०	कि पूरे झारखण्ड राज्य में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं के पदाधिकारी तथा कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विगत कई वर्षो से राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है जिसका प्रतिकूल असर उनके कार्यो पर पड़ रहा है। ज्ञातव्य है की प्रोन्नति के लिए कई सेवा संवर्गो की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक भी विगत कई माह पूर्व हो चुकी है तथा कुछ की बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी हो चुका है तथापि सरकार द्वारा इन की अधिसूचना पर रोक लगाई गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या- S.P.L.(CIVIL)30621/2011 जरनेल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में दिये गये न्याय निर्देश	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		क्या अन्य राज्यों एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं में लागू है ? यदि नहीं तो सिर्फ झारखण्ड राज्य के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू क्यों ? अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से राज्य के प्रशासनिक एवं व्य सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकार द्वारा लगाई गई रोक को तुरंत हटाकर यथाशीघ्र प्रोन्नति देने की मांग करता हूँ।	
04-	श्री बलिन सोरेन स०वि०स० प्रो० स्टीफन मराण्डी स०वि०स० श्री लोबिन हेम्ब्रम स०वि०स०	संथाल परगना प्रमण्डल में कर्मी कुष्ट रोगियों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला संथाल पहाड़िया सेवा मंडल के अधीन देवघर, आमढ़ापाड़ा, बोरियो, चांदवा,पालोजोरी, बाघमारा, फतेहपुर, हँसडीहा, गोड्डा आदि जगहों पर कुष्ट आश्रम संचालित था। इन आश्रमों में बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेश के रोगी आकर स्वास्थ्य लाभ करते थे। इन अस्पतालों में करीब 250 कर्मचारी पदस्थापितों द्वारा सेवामंडल की ओर से विभिन्न स्थलों में पूर्व में 3 (तीन) उच्च विद्यालय 6 (छः) मध्य विद्यालय 160 प्राथमिक विद्यालय व 60 (साठ) पहाड़िया पाठशाला चलाया जाता था, इनमें से ज्यादातर का अस्तित्व समाप्त हो गया है। आश्रम की स्थापना 22 नवम्बर, 1963 एकीकृत बिहार राज्य में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ० सुशीला नायर ने किया था। 1994 तक अस्पताल, विद्यालय के साथ-साथ रोगियों के पुर्नवास, रेडियो, घड़ी मरम्मति, सिलाई कढ़ाई के साथ कई गाँवों में खादी ग्रामोद्योग भी चलाया जाता था। 1998 में संस्था के संचालक के निधन के बाद वर्चस्व की लड़ाई और विवाद के बाद मामला उच्च न्यायालय में गया, न्यायालय के आदेश से देवघर के तत्कालीन उपायुक्त को सेवा मंडल का रिसीवर नियुक्त कर दिया था, उपायुक्त श्री वैद्यनाथ प्रसाद ने संचालन के लिए कमिटि का गठन कर संचालन कराया और कर्मियों को तीन माह का वेतन भी भुगतान कराया, इसी बीच	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		श्री प्रसाद का स्थानांतरण हो गया। इसके बाद दूसरे उपायुक्तों ने इसपर ध्यान नहीं दिया। उपरोक्त आश्रमों में अरबों की भूमि, भवन, विदेशी X-Ray मशीन तथा अन्य उपकरणों आदि जर्जर अवस्था में हो रहे हैं इसका कोई रख-रखाव नहीं है। अतः सरकार उपरोक्त सेवा मंडल के बंद पड़े संपत्तियों को एक न्यायिक जाँच समिति बनाकर अधिग्रहण कर जनहित के उपयोग हेतु संचालन के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
05-	श्री दिनेश विलियम मराण्डी स0वि0स0 सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	झारखण्ड के पाकुड़ जिलान्तर्गत बंगाली समुदाय के तांती जाति के लोगों की जमीन के खतियान में जाति तन्तुबाई उल्लेखित है जो अत्यन्त पिछड़े वर्ग के अनुसूची-1 के अन्तर्गत आता है। विदित हो कि झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 12817, दिनांक- 17.11.2012 में अत्यन्त पिछड़े वर्ग के अनुसूची-1 के क्रमांक- 33 के अन्तर्गत तांती (ततवा) का उल्लेख रहने के कारण उक्त जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः उपर्युक्त पत्रांक- 12817, दिनांक- 17.11.2012 में संशोधन कर तांती (ततवा) के साथ तन्तुबाई भी जोड़ने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 07 सितम्बर, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-34/2021-2063/वि0 स0, राँची, दिनांक- 06/09/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/21

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-34/2021-2063/वि0 स0, राँची, दिनांक- 06/09/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

06/09/21

सुभाष/-